अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
09.10.20	श्री मंगलाराम चौ. श्री प्रदीप यादव 1, 2 कमलादेवी बनाम कुसुमलता वगैरह यह पत्रावली अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 के द्वारा दिनांक 09.10.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 जा.दी. पेश करने पर तलब की गई। अभिभाषक उभयपक्ष ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रकरण के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 26.10.2020 को नियत है जो कि प्रकरण में अत्यधिक लम्बी तारीख पेशी है एवं प्रकरण की शीघ्र सुनवाई की दरकार है इस कारण प्रकरण को नियत तारीख पेशी से पूर्व सुनवाई किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। प्रकरण में पक्षकारो के मध्य गॉव के मौजीज व्यक्तियों के समक्ष राजीनामा हो गया है एवं पक्षकारों द्वारा आपसी सहमती से यह तय किया गया है कि पक्षकार अपनी–अपनी ओर से दायर राजस्व वाद व अपील वापस ले लेगें ताकि किसी भी प्रकार का मुनमुटाव व मुकदमेंबाजी पक्षकारों के मध्य नहीं रहे, इस कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा में जैरकार अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आक्षेपित आदेश दिनांक 18.09.2020 को आपसी सहमति के आधार पर अस्वीकार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद का फैसला दिनांक 18.09.2020 निरस्त कर प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को प्रतिप्रेषित करने के आदेश जारी करावें। उक्त राजीनामा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा पूर्ण होश व हवास में, प्रसन्नचित अवस्था में, बिना किसी नशे पत्ते व बिना दबाव में किया जा रहा है जिसे उन्होने पढ़कर उसका उक्त समझ लिया है एवं पढ़कर अपने हस्ताक्षर किये है ताकि पक्षकारों के मध्य सदा के लिए राजीनामा हो सकें एवं मनमुटाव ना रहे है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 जा. दी. को स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अपीलांट संख्या 01से 03 व रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 स्वंय उपस्थित हुए तथा उन्होनें पर आधार कार्ड की प्रति पर अपने स्वंय हस्ताक्षर किये हुए प्रति प्रस्तुत की है। अपीलांट की पहचान उनके अभिभाषक श्री मंगला राम चौधरी ने व रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 की पहचान उनके अभिभाषक श्री प्रदीप यादव ने की है। उक्त राजीनामा उभयपक्ष को पढ़कर सुनाया गया, राजीनामा से सभी पक्षकारान सहमत है। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 01, 02 की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। अपीलांट संख्या 1 से 3 स्वंय ने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 02 ने स्वंय कथन किया कि राजीनामा स्वीकार किया जाकर, अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने की इस्तदुआ की। हम प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार कर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है कि **अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 18.09.2020, प्रकरण संख्या 04/2020 को निरस्त करते हुए, प्रकरण अधीस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं वे राजीनामा की भावना के तहत् उक्त प्रकरण का न्यायिक अभिनिर्णय व निर्णय कराने में समक्ष होगें। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** 9/10/2020	09.10.2020 9-10-20 13.10.2020